

853/ABT-1
29-8-13



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल/तिथिबद्ध
सेवा में,

1. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज/ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (हरियाणा राज्य में)।
 2. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला)/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), (हरियाणा राज्य में)।
 3. प्रधानाचार्य, राजकीय कला स्कूल, रोहतक।
 4. प्रधानाचार्य, प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (हरियाणा राज्य में)।
- यादी कमांक टी-4/पोस्ट मैट्रिक/अल्पसंख्यक/2013/ 2235
दिनांक: 27-8-2013

Subject:- Regarding Direct Benefit Transfer procedure the seeding Aadhaar Number in (i) Beneficiary Data Base by implementing Agency (ii) in Beneficiary Bank Account by the Bank Concerned.

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र कमांक टी-4/पोस्ट मैट्रिक/अल्पसंख्यक/2013/1881 व 2188-89 दिनांक 30.7.2013 व 23.8.2013 के सन्दर्भ में ।

सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्यों तथा सभी संस्थानों के मुखियों को पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि संस्थान में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पहले भेजी गई हिदायतों अनुसार महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ के दूरभाष न० 0172-2703522 पर सम्पर्क करके अपने-2 संस्थान का user name password ID उक्त विभाग से प्राप्त करके उनकी वैबसाईट www.momascholarship.gov.in पर दिनांक 30.9.2013 से पूर्व अपलोड करने सुनिश्चित करें। मामले में किसी भी प्रकार की देरी के लिये मुख्य रूप से संस्थान के मुखिया तथा जिला स्तर के प्रधानाचार्य जिम्मेवार होंगे।

पू०क० टी-4/पोस्ट मैट्रिक/अल्पसंख्यक/2013/ 2236

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-5)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

दिनांक: 27/8/2013

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. सहायक निदेशक प्रशिक्षण-4।
3. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-5)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।